विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 02 जनवरी, 2008 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की बीसवीं (20वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 2 जनवरी, 08 को को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 187 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि इन अधिसूचित एसईजेड में 52193 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है तथा ये एसईजेड 59356 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र / राज्य सरकार के एसईजेड द्वारा 35477 से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान किया गया है जो एसईजेड अधिनियम से पहले अस्तित्व में आए थे। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 7 एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अलावा है जो 1.75 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए है।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. डाबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा - 1, मद संख्या 1, अनुबंध - 1, क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डाबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. श्रीरंगपटना तालुक, मांड्या जिला, कर्नाटक में 44.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हाई स्ट्रीट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा - 1- मद संख्या 1 - अनुबंध - 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीरंगपटना तालुक, मांड्या जिला, कर्नाटक में 44.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हाई स्ट्रीट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. सलेम, तमिलनाडु में 112.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इस्पात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सेल सलेम एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा-II - मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सलेम, तमिलनाडु में 112.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सेल सलेम एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस्पात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. चेंगाडु गांव, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.774 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट एंड क्रॉम्प्टन इंजीनियरिंग लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा-II - मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने चेंगाडु गांव, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.774 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बेस्ट एंड क्रॉम्प्टन इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 30.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उप्पल्स आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा -II - मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 30.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स उप्पल्स आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फालकॉन कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड) का अनुरोध (एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10

हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फालकॉन कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. प्लाट नंबर 1, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनिटेक हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 1, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स यूनिटेक हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. एमआर-10 रोड, बाईपास रोड के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश में 13.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कसांड्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (इंटरटेनमेंट वर्ल्ड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एमआर-10 रोड, बाईपास रोड के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश में 13.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कसांड्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (इंटरटेनमेंट वर्ल्ड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. मौजा कराईदंगा, भाटीपौटा, खारंबा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 10.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कैपस्टोन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 2 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 40.5 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन किया है जबकि केवल 10.43 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मौजा कराईदंगा, भाटीपौटा, खारंबा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में 10.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कैपस्टोन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. मोहाली (एसएएस नगर) जिला, पंजाब में 10.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुखम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 2 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदने बोर्ड ने नोट किया कि 30 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार / विकासक से भूमि के संस्पर्शी होने तथा एसईजेड की भूमि के अंदर मौजूदा सड़क नेटवर्क के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि फाइल में राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध है जिसमें यह कहा गया है कि 10.58 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल संस्पर्शी है तथा इस भूमि पर कोई आम रास्ता नहीं है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी इसकी पुष्टि की तथा सूचित किया कि संस्पर्शी भूमि पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मोहाली (एसएएस नगर) जिला, पंजाब में 10.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सुखम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. उत्तरपाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 24.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगाल श्रीराम हाईटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 2 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उत्तरपाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 24.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स बंगाल श्रीराम हाईटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफको) का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 1) :

बताया गया कि एसईजेड की भूमि संस्पर्शी नहीं है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा विभाजित है। अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ओर है और राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र होगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। यह भी नोट किया गया कि एसईजेड की प्रस्तावित भूमि के एक कोने से बरसाती पानी की नहर निकल रही है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियन फार्मर्स

फर्टीलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) विकासक संशोधित तिथि 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधान के अनुसार समर्पित सुरक्षा फाटकों / ओवर ब्रिज / अंडर पास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा तथा 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंक फेंसिंग जिसके शीर्ष 0.6 मीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी, के साथ प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने वाली रोड के दोनों ओर फेंसिंग भी करेगा।

(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ओर स्थित होगा।

13. ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 10.975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 10.975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. नालेज पार्क 5, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नालेज पार्क 5, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स उप्पल हाउसिंग लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में 103.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स झुनझुनवाला वनस्पति लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में 103.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स झुनझुनवाला वनस्पति लिमिटेड द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। 25 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट के संबंध में विकासक उपयुक्त समय पर अलग से अनुमोदन बोर्ड से संपर्क कर सकता है।

16. राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ऑरियन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 50.6 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन किया है जबकि केवल 28.33 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ऑरियन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. कांचा इमारत, रविरयाल गांव, माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कांचा इमारत, रविरयाल गांव, माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अनंत टेक्नोलाजीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. सेक्टर 81, ग्राम बुडेना, फरीदाबाद और प्रहलादपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में 21.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स परपेचुअल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 का शुद्धिपत्र - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर 81, ग्राम बुडेना, फरीदाबाद और प्रहलादपुर,

जिला फरीदाबाद, हरियाणा में 21.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स परपेचुअल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. सेक्टर 102, ग्राम खिड़कीमाजरा, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्रेसियस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 का शुद्धिपत्र - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर 102, ग्राम खिड़कीमाजरा, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल मैसर्स ग्रेसियस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. भामसारा कल्याणगढ़ गंगाद, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 133.860 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स डिसमैन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा I - मद संख्या 2 - अनुबंध 2 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और भामसारा कल्याणगढ़ गंगाद, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 133.860 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डिसमैन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

21. कल्याणगढ़ गंगाद, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 164.415 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मा एवं फाइन केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स डिसमैन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा I - मद संख्या 2 - अनुबंध 2 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और कल्याणगढ़ गंगाद, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 102.7409 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स

डिसमैन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा फर्मा एवं फाइन केमिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

22. मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 106 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा I - मद संख्या 2 - अनुबंध 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 106 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

23. हिंदूपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 415.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स रसाई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा I - मद संख्या 2 - अनुबंध 2 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और हिंदूपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 415.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रसाई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

24. भदोही के पास, जिला संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश में 103.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कार्पेट और हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा III - मद संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और भदोही के पास, जिला संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश में 103.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) लिमिटेड द्वारा कार्पेट और हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. लुधियाना, पंजाब में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो इंजीनियरिंग कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मलहोत्रा लैंड डवलपर्स एंड कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने लुधियाना, पंजाब में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मलहोत्रा लैंड डवलपर्स एंड कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आटो इंजीनियरिंग कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और नेल्लोर जिले के बीच एनएच-5 पर 118 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भवन निर्माण सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए साउथ कोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड (स्किडकैप) का अनुरोध (एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि संपूर्ण भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा यह कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और नेल्लोर जिले के बीच एनएच-5 पर 118 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में साउथ कोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड (स्किडकैप) द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. नैगांव, महाराष्ट्र में 104.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वाइब्रेंट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 1) :

नोट किया गया कि विकासक कंपनी दो कंपनियों का कंर्सोटियम है। हालांकि राज्य सरकार ने औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी, अनुमोदन बोर्ड ने नैगांव, महाराष्ट्र में 104.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वाइब्रेंट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। एसपीवी की गठन हो जाने और एसपीवी के नाम में भूमि अंतरित हो जाने पर विकासक औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

4. नैगांव, महाराष्ट्र में 46.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र एसईजेड स्थापित करने के लिए वाइब्रेंट आईएल एंड एफएस कंसोर्टियम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

नोट किया गया कि विकासक कंपनी दो कंपनियों का कंर्सोटियम है। राज्य सरकार ने औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने नैगांव, महाराष्ट्र में 46.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वाइब्रेंट आईएल एंड एफएस कंसोर्टियम द्वारा मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। एसपीवी की गठन हो जाने और एसपीवी के नाम में भूमि अंतरित हो जाने पर विकासक औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. ग्राम मोरखल सिलवासा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में 12.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एईसी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव रत्न एवं आभूषण के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए है तथा भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल 10 हेक्टेयर है जिसका अधिग्रहण करना मुश्किल नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने यह कहते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक भूमि पर पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के बाद औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

2. हल्दिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टील एवं डाउनस्ट्रीम इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नीपज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 45.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (एजेडा 2 - मद संख्या 2) :

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. बीकानेर, राजस्थान में 103.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 2 - अनुबंध 2 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सेक्टर को वुलेन से बदलकर टेक्सटाइल करने का अनुरोध किया है। चूंकि भूमि के मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता थी, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने वस्त्र एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया और औपचारिक अनुमोदन के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

6. तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली जिला, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सेंट जॉन ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 2 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. छतरपुर, मंडी रोड, डाकघर मेहरौली, नई दिल्ली में 14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. प्लाट नंबर 001, सेक्टर 143ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सर्वमंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 5) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

9. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 23.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल 10 हेक्टेयर है जिसका अधिग्रहण करना मुश्किल नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने यह कहते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक भूमि पर पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के बाद औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

10. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 12.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

11. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 40.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

12. प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 10):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। चूंकि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. प्लाट नंबर 3, सेक्टर 140ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 11) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

14. प्लाट नंबर बी-25, शेंद्रा फाइव स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा 3 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। नोट किया गया कि विकासक ने केवल पट्टा करार प्रदान किया है तथा पट्टा करार अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

15. राजस्व ग्राम बबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा III का शुद्धिपत्र - मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

16. भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा III का शुद्धिपत्र - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा न होकर सहयोगी कंपनियों का कब्जा है। चूंकि रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल 10 हेक्टेयर है जिसका अधिग्रहण करना मुश्किल नहीं है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने यह कहते हुए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि विकासक भूमि पर पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के बाद औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

17. पूरक एजेंडा 4 के अनुबंध 1 में शामिल प्रस्ताव आस्थगित कर दिए गए क्योंकि राजस्व विभाग ने यह कहते हुए आस्थगित करने का अनुरोध किया कि प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

(घ) वापस लेने के लिए अनुरोध :

टिडको के प्रतिनिधि ने नंगुनेरी, तमिलनाडु में एसईजेड की स्थापना के लिए निम्नलिखित सात प्रस्तावों को छोड़ने का अनुरोध किया क्योंकि बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा विकासक उसी स्थान पर बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेगा।

1. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 185.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 6) :

2. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 71.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लाजिस्टिक के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 8) :

3. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 107.45 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक एवं हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 9) :

4. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 110.07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 10) :

5. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 121.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 11) :

6. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 12) :

7. नुनगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 13.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (पूरक एजेंडा 1 - मद संख्या 1 - अनुबंध 1 - क्रमांक 13) :

(ड.) एजेंडा से हटाए गए प्रस्ताव :

निम्नलिखित तीन प्रस्तावों को एजेंडा से हटा दिया गया क्योंकि 19 अक्टूबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में इनको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

1. एसईजेड की स्थापना के लिए श्रीपेरंबदूर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु का अनुरोध (एजेंडा - 1, मद संख्या 1, अनुबंध 1, क्रमांक 4) :

2. एसईजेड की स्थापना के लिए राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु का अनुरोध (एजेंडा - 1, मद संख्या 1, अनुबंध 1, क्रमांक 5) :

3. एसईजेड की स्थापना के लिए सेंगाडू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विल्लूपुरम, तमिलनाडु का अनुरोध (एजेंडा - 1, मद संख्या 1, अनुबंध 1, क्रमांक 7) :

(च) अनुमोदन के लिए अन्य अनुरोध :

एजेंडा नंबर -1

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवा क्षेत्र एसईजेड के 11.6 एकड़ के सह विकासक के रूप में मैसर्स एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक ने 99 साल की अवधि के लिए पट्टा का प्रस्ताव किया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस मुद्दे की और जांच करने तथा पट्टा के नियमों एवं शर्तों और अवधि के संबंध में विशेष रूप से कोई राय अपनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अग्रेतर जांच और इस प्रस्ताव पर कोई राय लेने के लिए इसे आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) पोंडा, गोवा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत प्रचालनों की अपनी आवश्यकता को उचित ठहराते हुए संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पोंडा, गोवा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. 7.5 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट।
2. 100 मीट्रिक टन का तौल सेतु

अपनी प्रस्तुति में विकासक ने अनुमोदन बोर्ड को साइट पर निर्माण की गतिविधियों के रूप में तथा लगभग 500 करोड़ रुपए के किए गए निवेश के रूप में तथा एसईजेड की स्थापना की दिशा में अग्रसर होने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में सूचना प्रदान की। जहां तक फ्यूल वेंडिंग स्टेशन (डीजल / पेट्रोल / सीएनजी) के अनुरोध का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि यह सुविधा, जिसका डीटीए प्रयोक्ताओं द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, एसईजेड क्षेत्र के बाहर स्थापित की जा सकती है।

(ii) वड़ोदरा, गुजरात में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एवं संबद्ध सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 1 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंडा 1 के अनुबंध 4 में विकासक द्वारा सूचीबद्ध मदें प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों को सामान्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। विकासक, जिसने अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुति दी, ने सूचित किया कि ये मदें ऐसी हैं जो प्रसंस्करण क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली यूनिटों की विनिर्माण गतिविधियों से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यदि विकासक इसका सृजन सभी यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय रूप में अवसंरचना सुविधाओं के रूप में कर रहा है तो अनुबंध 2 के अनुसार कर्मचारियों के लिए परिवहन को छोड़कर सभी मदों को अनुमत किया जाता है।

(iv) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने संक्षिप्त प्रस्तुति दी तथा सूचित किया कि वे 10 मिलियन वर्गफीट के निर्मित आईटी स्पेस का सृजन करने की योजना बना रहे हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड का क्षेत्रफल 30.981 हेक्टेयर है और यह कि उनके द्वारा जिस अधिकृत प्रचालन के लिए अनुरोध किया गया है वह एसईजेड के क्षेत्रफल के अनुपात में है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि विकास आयुक्त को निगरानी करनी चाहिए कि अनुमोदित की जा रही अधिकृत गतिविधियां चरणों में तथा सृजित आईटी स्पेस के अनुपात में संचालित की जाएं।

मद संख्या 4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) जामनगर, गुजरात में अधिसूचित किए गए एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने जामनगर, गुजरात में अधिसूचित किए गए एसईजेड के क्षेत्रफल में 1050 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। विकास आयुक्त, कांडला ने सूचित किया कि केवल 514.25 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है तथा इस अतिरिक्त चिह्नित क्षेत्र के कुछ भाग से रेलवे लाइन तथा कार्ट ट्रैक रोड के गुजरने के कारण सन्निकटता भंग हो रही है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1764.14 हेक्टेयर के पहले से अधिसूचित क्षेत्रफल में 514.25 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. यह कि 514.25 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र पहले से अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र से संस्पर्शी है।
2. यह कि वाणिज्य विभाग को रेल मंत्रालय से औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा रेलवे ट्रैक के समानांतर कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब रेल मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
3. यह कि वे संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समर्पित सुरक्षा फाटकों / ओवर ब्रिज / अंडर पास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेंगे तथा 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चेन लिंक फेंसिंग जिसके शीर्ष 0.6 मीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी, से रेलवे ट्रैक और रोड के दोनों ओर फेंसिंग भी करेंगे।
4. सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(ii) **खुर्द, उड़ीसा में आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक अवंसरचना विकास निगम (इडको) का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि खुर्द, उड़ीसा में 69.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित आईटी एसईजेड में 0.81 हेक्टेयर की वृद्धि करने के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास

निगम (इडको) के प्रस्ताव पर 18 सितंबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था तथा साइट पर एक मौजूद भवन को गिराने के संबंध में विकासक से पक्की प्रतिबद्धता के अभाव में आस्थगित कर दिया गया था। बैठक के दौरान विकासक दौरान प्रदान की गई पक्की प्रतिबद्धता के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने खुर्द, उड़ीसा में 69.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित आईटी एसईजेड में 0.81 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि भूमि के अनुमोदित हिस्से में मौजूद भवन गिराया जाएगा।

(iii) कोकापेट, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 18 सितंबर, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विकासक से अधिक ब्यौरे के अभाव में आस्थगित कर दिया गया। चूंकि अभी तक ये ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टंडन इंफार्मेशन सोल्युसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टंडन इंफार्मेशन सोल्युसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध 18 सितंबर, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। यह भी नोट किया गया कि विकासक से अब निवल मूल्य का ब्यौरा प्राप्त हो गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

एजेंडा II

मद संख्या 3 : एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध

(i) केएएसईजेड में पुराने एवं प्रयुक्त वस्त्र यूनिटों के एलओपी के नवीकरण के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासन का अनुरोध

विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि ये यूनिटें काफी रोजगार प्रदान करती हैं और यह कि उनके संचालन से कोई पर्यावरणीय या अन्य प्रभाव नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने केएएसईजेड की मौजूदा पुरानी एवं प्रयुक्त कपड़ा यूनिटों के एलओपी के नवीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया तथा

5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 4 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) आईडीए, उप्पल औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टापनोच इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 14.50 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स मिडास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने आईडीए, उप्पल औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टापनोच इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 14.50 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स मिडास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) थाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के 21 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स महिंद्रा गेस्को डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने थाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के 21 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स महिंद्रा गेस्को डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि विकासक द्वारा किए गए पट्टा करार के नियमों एवं शर्तों पर स्पष्टता की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) कोयंबटूर, तमिलनाडु में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पादों एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में 104.603 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पादों एवं संबद्ध सेवाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम ओवाले, जिला थाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्यागिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने गांव ओवाले, थाणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन का क्षेत्रफल 28 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह केवल औपचारिक अनुमोदन था तथा अभी तक

अधिसूचित नहीं हुआ है। घटाए गए क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई कर लाभ लिया गया है, तो उन्हें वापस करना होगा।

मद संख्या 6 : एसटीपीआई को एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसटीपीआई को एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अनुरोध पर 18 सितंबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था तथा जिसमें यूनिटों के स्टेटस तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई कर छूटों के संबंध में विकासक से और ब्यौरा प्राप्त करने के लिए उनको बुलाने का निर्णय लिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसटीपीआई स्कीम के अंतर्गत यूनिटों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर लाभ प्राप्त किए गए हैं। विकासक ने अपने अनुरोध को उचित ठहराते हुए संक्षिप्त प्रस्तुति दी तथा कहा कि उनको यह अनुमोदन एसईजेड अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रदान किया गया था तथा बाद में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि डीएमआरसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए एसईजेड नियमावली के नियम 5 (3) के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई थी और इसलिए इसे अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि ईओयू / एसटीपीआई यूनिटों के एसईजेड में परिवर्तन के लिए एसईजेड नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे में शामिल जटिलता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच के लिए संबंधित विभागों का एक लघु समूह गठित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग समूह के विचारार्थ इस मामले पर पृष्ठभूमि नोट प्रदान करेगा।

पूरक एजेंडा

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) बंगलौर, कर्नाटक में विकास टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिद्धिप्रिया बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में विकास टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिद्धिप्रिया बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 11.6 एकड़ के सह विकासक के रूप में मैसर्स कोलकाता आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 19 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने अनुमोदन के लिए मामले की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 11.6 एकड़ के सह विकासक के रूप में मैसर्स कोलकाता आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक डवलपर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 19 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा स्पष्टता के अभाव में आस्थगित कर दिया गया। विचार विमर्श के बाद तथा विकासक से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक डवलपर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) ग्राम बेलांडुर, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6.503 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 19 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया, जिसने अब अनुमोदन के लिए मामले की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बेलांडुर, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6.503 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स असेंडास आईटी पार्क (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने विचार करने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 223.560 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल के अंदर 10 हेक्टेयर के विकास के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स असेंडास आईटी पार्क (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 4 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) शिमोगा, कर्नाटक में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने शिमोगा, कर्नाटक में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 169.6 हेक्टेयर से घटाकर 102.20 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के अनुरोध पर विचार किया और मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह केवल औपचारिक अनुमोदन था तथा अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक द्वारा कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। यदि घटाए गए क्षेत्र के संबंध में कोई कर लाभ प्राप्त किया गया है तो उसे लौटाना होगा।

(ii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इसे पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

मद संख्या 5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 4 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) उडुपी जिला, कर्नाटक में हाईटेक इंजीनियरिंग उत्पादों एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अपने अनुरोध पर प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 5 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

विकासक ने इस एसईजेड में दो प्रवेश एवं निकास फाटकों को अनुमत करने के लिए भी अनुरोध किया था जो एसईजेड के प्लाट के लेआउट के कारण आवश्यक है जिसका आकार आयताकार है। साथ ही चूंकि यह इंजीनियरिंग एसईजेड है इसलिए विशाल आकार की मशीनरी के साथ ट्रकों का लगातार मूवमेंट होगा जिससे फाटक पर भीड़-भाड़ हो सकती है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को वर्तमान में केवल एक प्रवेश एवं निकास फाटक का प्रचालन करने का निर्देश दिया।

(iii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में 'हास्पिटल सिटी' परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध

विकासक ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए सूचीबद्ध अपने सभी अनुरोधों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बहु उत्पाद एसईजेड में हास्पिटल सिटी की स्थापना के लिए अनुरोध के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद निर्देश दिया कि यदि विकासक सामाजिक अवसंरचना के रूप में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हास्पिटल का निर्माण करने का प्रस्ताव कर रहा है तो वह स्वयं विकासक द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधि के अनुमोदन के लिए अनुमोदन के पास आवेदन कर सकता है। यदि यह गतिविधि सह विकासक द्वारा संचालित की जानी है तो सह विकासक प्रस्तावित क्षेत्र के विकास के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, यदि यूनिट के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में हास्पिटल सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है तो जोन की यूनिट अनुमोदन समिति से उपयुक्त आवेदन के साथ संपर्क किया जा सकता है।

(iii क) निम्न आय वर्ग के आवास / शॉपिंग क्षेत्र के अनुमोदन के लिए अनुरोध

प्रस्तुति के दौरान विकासक ने आवास के लिए अपने पिछले अनुमोदन के क्रम में निम्न आय वर्ग की आवास यूनिटों एवं शॉपिंग क्षेत्र के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। तद्नुसार, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 11312 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में निम्न आय वर्ग के 180 मकानों तथा 12255 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में सुविधाजनक शॉपिंग यूनिटों के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

(iv) नवालूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ईटीए टेक्नोफोपार्क का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

सर्विस अपार्टमेंट	10,000 वर्गमीटर

मद संख्या 6 : मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, के प्रस्ताव पर विचार किया। विधि एवं न्याय मंत्रालय, जिसकी इस मुद्दे पर राय मंगाई गई, ने यह राय व्यक्त की कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस का अनुपालन सुनिश्चित करना निगरानी समिति के अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि यूनिट अपना प्रचालन जारी नहीं रख सकती है और यह कि कानून के अंतर्गत एलओए की अवधि बढ़ाना अनुमत नहीं होगा। तद्नुसार, विधि मंत्रालय की राय के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 7 : सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी है के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अंसल सीगुल एसईजेड डवलपर लिमिटेड मैसर्स कामधेनु एग्रो लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी है। अनुमोदन बोर्ड ने नियंत्रक कंपनी के निवल मूल्य तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। तद्नुसार, मैसर्स अंसल सीगुल एसईजेड डवलपर लिमिटेड का निवल मूल्य एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न प्राप्त करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 8 : मैसर्स मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट के निर्माण के लिए कोचीन एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध नागर विमानन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय की टिप्पणियों के अभाव में 19 अक्टूबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब मैसर्स मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को फारेन कोलैबोरेशन इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रदान किया गया है और तद्नुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 9 : मंजूरी पत्र के निरसन के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्रिस्टल पॉलीमर इंपलेक्स जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने मंजूरी पत्र के निरसन के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्रिस्टल पॉलीमर इंपलेक्स जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट है, की अपील पर विचार किया और निजी सुनवाई के लिए आवेदक को बुलाने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 10 : पुथुव्यपीन में एसईजेड में जल क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने पुथुव्यपीन में एसईजेड में जल क्षेत्र को जोड़ने के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है।

मद संख्या 11 : मैसर्स बोमीडाला एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो एमईपीजेड एसईजेड में सिगरेट का निर्माण करने वाली कंपनी है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि एमईपीजेड एसईजेड में सिगरेट निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए मैसर्स बोमीडाला एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुरोध पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा दो बार विचार किया तथा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आवेदक वर्तमान प्रस्ताव के साथ आया है जिसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे अपना 100 प्रतिशत उत्पादन निर्यात करेंगे और कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी। अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा निर्देश दिया कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की राय प्राप्त करने के लिए मामले को उनके पास भेजा जाए। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

पूरक एजेंडा II

मद संख्या 2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित डिफाल्ट सूची के अनुसार तथा अनुबंध 6 के अनुसार आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए निर्धारित अभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार भी अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित रत्न एवं आभूषण एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 7 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) उडुपी, कर्नाटक में मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मद पर पहले विचार किया जा चुका है।

(iv) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 8 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) वड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मद पर पहले विचार किया जा चुका है।

(vi) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित वस्त्र एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

विकासक ने पहले अनुमोदित किए गए अधिकृत प्रचालनों की मात्रा / आकार में संशोधन के अनुरोध को उचित ठहराते हुए प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 9 के अनुसार विकासक द्वारा अधिकृत गतिविधियों की अपेक्षित मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त विकासक द्वारा वास्तविक प्रयोग की निगरानी करेंगे।

(vii) मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मुंद्रा एसईजेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क की निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. मजदूर हास्टल / सामूहिक शयन कक्ष (16500 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ)
2. कारखाना भवन / वर्कशेड

(viii) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

मंगलौर, कर्नाटक में अपने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर इनहाउस प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में निर्णय

लिया गया कि 22 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में समान अनुरोध के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार इसे मंजूरी प्रदान की जा सकती है। उक्त बैठक में विकासक द्वारा सूचित किया गया कि लिविंग क्वाटर के लिए 450 वर्गफीट और लैब आदि के लिए 160 वर्गफीट की दर से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए स्पेस की आवश्यकता होगी और यह कि आवासीय एवं प्रशिक्षण सुविधाएं एक साथ होनी चाहिए। तद्नुसार, निर्णय लिया गया कि विकासक को एसईजेड में 100000 वर्गमीटर के प्रत्येक निर्मित आईटी स्पेस के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए 25000 वर्गमीटर के प्रशिक्षण क्षेत्र और तद्नुरूप हास्टल की सुविधा विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है।

मद संख्या 3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड (एमपीएसईजेड - भाग 2) में सह विकासक के लिए मैसर्स एडीकॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पद्मालय डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) औपचारिक अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स सोहना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स इंटेलीसिटी साफ्टवेयर पार्क प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स सोहना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया तथा शेयर होल्डिंग का पैटर्न समान बने रहने के अधीन उसे मंजूरी प्रदान की।

(ii) एसपीवी, किनफ्रा फिल्म एंड वीडियो पार्क (केएफवीपी) के नाम में अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स किनफ्रा एसईजेड फार एनिमेशन एंड गेमिंग का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात किनफ्रा फिल्म एंड वीडियो पार्क (केएफवीपी) जो किनफ्रा के पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के नाम में अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स किनफ्रा के प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि 80.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 80.24 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करके उसका अधिसूचित क्षेत्रफल 76.10 हेक्टेयर से बढ़ाकर 156.34 हेक्टेयर करने के लिए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर लिमिटेड) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 से 11 : मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड तथा एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड से संबंधित प्रस्ताव :

अनुमोदन बोर्ड ने "सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने के लिए मुंद्रा एसईजेड के सह विकासक के लिए एडीकॉर्प मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एडीकॉर्प)" के प्रस्ताव से संबंधित मद संख्या 6 (ii) जो पहले से ही अनुमोदित मद है, को छोड़कर मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड तथा एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया :

मद संख्या 6 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में अपने बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रस्ताव

(i) एसईजेड में एक से अधिक प्रसंस्करण क्षेत्र के अनुमोदन के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) मुंद्रा, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमपीएसईजेड यूटिलीटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 7 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 8 : हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 35 हेक्टेयर शामिल करने और संन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 9 : एसईजेड में सामग्री लाने और बाहर ले जाने के लिए बेल्ट कनवेयर सिस्टम के प्रचालन के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 10 : एसईजेड में पोर्ट और जेट्टी को शामिल करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 11 : हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग एसईजेड में प्रवेश एवं निकास के अनेक बिंदुओं के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 12 : प्रसंस्करण क्षेत्र की फेंसिंग के लिए श्री सिटी एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा स्थानीय स्तर पर विकासक के अनुरोध पर निर्णय लिया जा सकता है।

मद संख्या 13 : लोकेशन को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(i) पश्चिम बंगाल में बहु उत्पाद एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में बहु उत्पाद एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया तथा नोट किया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन का लोकेशन उलुबेरिया, हावड़ा से बदलकर खड़गपुर और गुप्टामणि के बीच, पश्चिम मेदनीपुर करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे हाईटेक इनफ्रा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन का लोकेशन ग्राम ताजे, जिला पुणे से बदलकर ग्राम विंग और गुठालवाड़ी, तालुक खंडाला, जिला सतारा करने के लिए मैसर्स पुणे हाईटेक इनफ्रा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया और उसे मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 14 : एलओपी जारी करने से इनकार करने के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सिल्वर माउंटेन इंटरनेशनल की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर एसईजेड में एलओपी जारी करने से इन्कार करने के संबंध में अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सिल्वर माउंटेन इंटरनेशनल की अपील को अस्वीकार कर दिया तथा निदेश दिया कि वे मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त के पास नया आवेदन कर सकते हैं।

पूरक एजेंडा III

मद संख्या 3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता को उचित ठहराते हुए प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक 20000 से अधिक लोगों के साथ 2.5 मिलियन वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने जा रहा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 10 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में एक इंटरनेशनल स्कूल स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने चरण 1 में 20000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र में स्कूल की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में रोड टर्मिनल की स्थापना के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 11 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

समय की कमी के कारण पूरक एजेंडा III की मद संख्या 3 (v) से मद संख्या 9, पूरक एजेंडा III के परिशिष्ट और पूरक एजेंडा IV को आस्थगित कर दिया गया था।

******

अनुबंध 1

सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वड़ोदरा

क्र. सं.	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1	प्रशासन कार्यालय	2136 वर्गमीटर
2	सुरक्षा ब्लॉक	46 वर्गमीटर
3	सीमा शुल्क कार्यालय	388 वर्गमीटर
4	फायर स्टेशन	189 वर्गमीटर
5	फायर टेंडर वीकल	1
6	वाटर टैंक	1

अनुबंध 2

वर्कहार्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड शेंद्रे एसईजेड
विकासक के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों की अतिरिक्त सूची

क्र. सं.	प्रचालन का विवरण	मात्रा	आकार
1.	केन्द्रीय यूटिलिटी		
1.1	यूटिलिटी ब्लाक तथा वितरण नेटवर्क	1	5000 वर्गफीट
1.2	भाप उत्पादन प्लांट एवं चिमनी	2	12 और 10 टीपीएच
1.3	स्वच्छ भाप उत्पादन एवं पूर्ति प्रणाली	1	2000 किग्रा प्रति घंटा
1.4	चिल्ड वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम	3	350 टीआर
1.5	कूलिंग वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम	4	350 टीआर
1.6	वाटर फॉर इंजेक्शन (डब्ल्यूएफआई) जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम	1	3000 एलपीएच
1.7	डीएम वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम	1	6000 एलपीएच
1.8	प्यूरीफाइड वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम	1	7500 एलपीएच
1.9	कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	1	600 सीएफएम
2	एचवीएसी सिस्टम	1	100 टीआर

अनुबंध 3

पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड, इंदौर

क्र. सं.	**गतिविधि / मद**	**क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा**
1	शॉपिंग, रिटेल और एक मल्टीप्लेक्स	48,096 वर्गमीटर
2	आवास और सर्विस अपार्टमेंट (599 यूनिटें)	55221.33 वर्गमीटर
2	क्लीनिक / मेडिकल सेंटर / स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (40 बेड)	5344 वर्गमीटर
3	स्कूल / शैक्षिक संस्थाएं	3563 वर्गमीटर
4	व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	14250.7 वर्गमीटर
5	कार्यालय स्थान / वाणिज्यिक स्थान	53,441 वर्गमीटर
6	विद्युत उत्पादन	85 मेगावाट

अनुबंध 4

फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :

क्र. सं.	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1	कार्यालय स्थान	1,82,950 वर्गमीटर
2	कैफे	600 वर्गमीटर
3	रेस्टोरेंट	1,000 वर्गमीटर
4	फूड कोर्ट	8,000 वर्गमीटर
5	जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट एरिया	1,200 वर्गमीटर
6	वेटिंग लांज	1,000 वर्गमीटर
7	मेडिकल सेंटर	200 वर्गमीटर
8	रिटेल स्पेस	500 वर्गमीटर
9	सिगनेचर टावर	750 वर्गमीटर
10	सेंट्रल कमांड आफिस	1,000 वर्गमीटर
11	ट्रैवल डेस्क	150 वर्गमीटर
12	पार्किंग की सुविधा	70,000 वर्गमीटर
13	इलेक्ट्रो मेकेनिकल यम, वाटर टैंक और अन्य यूटिलिटीज	8,000 वर्गमीटर
14	बिजनेस सेंटर - कन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग की सुविधाएं आदि	1,600 वर्गमीटर
15	एटीएम	150 वर्गमीटर
16	ईटिंग जोन	1,500 वर्गमीटर
17	कूरियर कार्यालय	150 वर्गमीटर
18	कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज चेक पोस्ट	100 वर्गमीटर

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियां :

क्र. सं.	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1	स्कूल	8,000 वर्गमीटर

अनुबंध 5

सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उडुपी, कर्नाटक

क्र. सं.	**गतिविधि / मद**	**क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा**
1	प्रशासन कार्यालय	2254 वर्गमीटर
2	सुरक्षा ब्लॉक	376 वर्गमीटर
3	ट्रकर्स फेसिलिटी	755 वर्गमीटर
4	फायर टेंडर वीकल	2
5	वाटर टैंक	1

अनुबंध 6

मैसर्स एलएंडटी हाइटेक सिटी लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस एसईजेड - कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस	1000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए
आवास / सर्विस अपार्टमेंट जिसका कुल क्षेत्रफल	10,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए

अनुबंध 7

मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड

प्रशिक्षण केंद्र	500 वर्गमीटर
सामूहिक शयन कक्ष	3000 वर्गमीटर

अनुबंध 8

सुजलोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु

क्र. सं.	**गतिविधि / मद**	**क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा**
1	प्रशासन कार्यालय (एस्टेट आफिस)	3585 वर्गमीटर
2	सुरक्षा ब्लॉक और कस्टम कार्यालय	415 वर्गमीटर
3	फायर स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्र	334 वर्गमीटर
4	ट्रकर्स फेसिलिटी	209 वर्गमीटर
5	फायर टेंडर वीकल	1
6	वाटर टैंक	1

अनुबंध 9

मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट लिमिटेड - गुड़गांव, हरियाणा

क्र. सं.	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा
1	विदेशी क्रेताओं के लिए कार्यालय	30,000
2	क्रेता एजेंटों के लिए कार्यालय	30,000
3	डिजाइन स्टूडियो	35000

अनुबंध 10

मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा
गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	**गतिविधि / मद**	**क्षेत्रफल वर्गमीटर में / मात्रा**
1	सर्विस अपार्टमेंट - 200	20000 वर्गमीटर
2.	शॉपिंग / सप्लाई एरिया	5000 वर्गमीटर
3.	मेडिकल सेंटर	3000 वर्गमीटर
4.	बाल देखरेख / शैक्षिक संस्थाएं	2000 वर्गमीटर
5.	ट्रेनिंग / कल्चरल / कन्फ्रेंस सेंटर / नालेज लैब	14000 वर्गमीटर
6.	वाणिज्यिक स्थान	6000 वर्ग फीट
7.	खेल परिसर	2000 वर्ग फीट
8.	सेंट्रलाइज्ड किचेन	2000 वर्गफीट

प्रसंस्करण क्षेत्र

1	कैफेटेरिया / कैंटीन / मनोरंजन की सुविधाएं	4000 वर्गमीटर
2	रेजीडेंट हॉस्टल / सर्विस्ड डार्मिटरी	5000 वर्गमीटर
3	जिम	2000 वर्गमीटर
4	बैंक / एटीएम	500 वर्गमीटर
5	कस्टम डिपार्टमेंट का कार्यालय	500 वर्गमीटर
6	पावर प्लांट (चरणों में निर्मित किया जाएगा)	50 किलोवाट
7	कुर्सी क्षेत्र के बराबर बेसमेंट पार्किंग	

अनुबंध 11

महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) - रोड टर्मिनल

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	वेयरहाउस - ए	26,694.00
2.	वेयरहाउस - बी	17,975.00
3.	कोल्ड स्टोरेज	4,449.00
4.	सामूहिक शयन कक्ष - 2	3,470.00
5.	कर्मचारी आवास	212.00
6.	आफिस कम्प्लेक्स	4,130.00
7.	यार्ड आफिस और कैंटीन	1,470.00
8.	आटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स शॉप (2)	1,600.00
9.	फायर वार्निंग सेल	600.00
10.	सुलभ शौचालय कम्प्लेक्स	204.00